राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— एफ.2 (क) (S—842) अलेसे—I/293-304 दिनांकः— 06/06/2025

आदेश

मुकदमा नं0 10/2024 अन्तर्गत धारा 419, 420, 408, 409, 467, 468, 471, 477, 477ए, 201, 109, सपठित धारा 34, 120बी भा.दं.सं. धारा 3, 4, 5, सपठित धारा 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 एवं 66डी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पुलिस थाना एसओजी, राजस्थान जयपुर का अनुसंधान एससोजी द्वारा किया जा रहा है।

प्रकरण में अभियुक्त श्री संदीप कुमार लाटा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I (लिंक नं0—9742) कार्यालय, निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर को पुलिस थाना, एसओजी, जयपुर द्वारा दिनांक 04.06.2025 को समय 7.00 पी.एम पर गिरफ्तार किया गया है।

अतः कार्मिक (क—3/शिकायत) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.03.2023 के अनुसरण श्री लाटा को गिरफ्तार किये 48 घण्टे से अधिक समय होने के फलस्वरूप राजस्थान सरकार, राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए श्री संदीप कुमार लाटा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I को उनकी गिरफ्तारी दिनांक 04.06.2025 से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में श्री लाटा का मुख्यालय कोषालय, धौलपुर में रहेगा।

श्री संदीप कुमार लाटा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः— एफ.2 (क) (S—842) अलेसे—I/293-304 दिनांकः— 06/06/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, प्रशासन, कार्यालय हाजा।
3. कोषाधिकारी, धौलपुर।
4. श्री संदीप कुमार लाटा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—I, कार्यालय हाजा।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्ठी करने हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सचिव निदेशक महोदय।
7. जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
8. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव